

175

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.
2-डब्ल्यू-पी/505/98.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 2/पी.-122/98



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 1998—श्रावण 31, शक 1920

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1998

क्र. एफ. 15-65-96-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा उनके रहवास/पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त महत्व का है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 1991) की धारा 26-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए "पेंच अभयारण्य" त्रिना सिवनी के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित करता है :—

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र :

1. जिला—सिवनी
2. अभयारण्य का नाम—पेंच अभयारण्य
3. तहसील—सिवनी
4. वन परिक्षेत्र—रूखड़, कुरई, पश्चिम खवासा
5. अभयारण्य का क्षेत्रफल—118.473 वर्ग किलोमीटर.

सीमाएं :

1. उत्तर.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 एवं 81 की बाह्य सीमा.

2. पूर्व.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 81, 82, 84, 85 की बाह्य सीमा.
3. दक्षिण.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 एवं 53 की बाह्य सीमा.
4. पश्चिम.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 53, 58, 59, 50, 49 एवं 48 की बाह्य सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1998

क्र. एफ. 15-65-96-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा इस विभाग की उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

Bhopal, the 21st August 1998

No. F. 15-65-96-X-2.—Where as the State Government considers that the area specified in the Scheduled below is of adequate significance for the purpose of the protection, propogation and development of wildlife and it's habitat/ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 20-A of the wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area as "Pench Sanctuary" district Seoni.—

SCHEDULE

Area included :

1. District—Seoni
2. Name of the Sanctuary—Panch Sanctuary
3. Tahsil—Seoni
4. Forest Range—Rukhad, Kurai, West Khawasa
5. Area of the Sanctuary—118.473 Sq.km.

Boundaries :

North.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 And 81 of South Seoni Division.

East.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 81, 82, 84 And 85 of South Seoni Division.

South.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 And 53 of South Seoni Division.

West.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 53, 58, 59, 50, 49 And 48 of South Seoni Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.

177

Pench WLS

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवना, भोपाल - ४६२ ००४

भोपाल, दिनांक २१ अगस्त, ९८

अधिसूचना

क्रमांक एफ-१५/६५/९६/१०-२: चूंकि राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा उनके रहवास/पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का है, अतः राज्य शासन एतद् द्वारा इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (यथा संशोधित १९९१) की धारा २६-ए द्वारा प्रदत्त शक्तिगों का उपयोग में लाते हुए 'पेंच अभयारण्य' जिला सिवनी के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित करता है:-

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र:

१. जिला - सिवनी
२. अभयारण्य का नाम - पेंच अभयारण्य
३. तहसील - सिवनी
४. वन परिक्षेत्र - रुखड़, कुरई, पश्चिम खवासा
५. अभयारण्य का क्षेत्रफल - ११८.४७३ वर्ग किलोमीटर

सीमाएं:

१. उत्तर - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ४८, ६१, ६२, ६९, ७०, ७५, ७६, ७८, ७९, ८० एवं ८१ की बाह्य सीमा।
२. पूर्व - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ८१, ८२, ८४, ८५ की बाह्य सीमा।
३. दक्षिण - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ८५, ८६, ८७, ९४, ७३, ७२, ६८, ६७, ६६, ६५, ५५, ५४ एवं ५३ की बाह्य सीमा।

178

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, FORESTS DEPARTMENT
MANTRALAYA
VALLABH BHAVAN BHOPAL-462004

Bhopal, Dt.: 21/08/98

NOTIFICATION

No.: F/15/65/96/10-2: Where as the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate significance for the purpose of the protection, propagation and development of wildlife and its habitat / ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-20-A of the Wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area as 'Pench Sanctuary' district Seoni.

Schedule

Area Included :

1. District
2. Name of the Sanctuary
3. Tahsil
4. Forest Range
5. Area of the Sanctuary

: Seoni
: Pench Sanctuary
: Seoni
: Rukhad, Kurai, West Khawasa
: 118.473 Sq.km

Boundaries:

North

- The outer boundary of Reserved Forests comppt. Nos. 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 and 81 of South Seoni Division.

East

- The outer boundary of Reserved Forests comppt. Nos. 81, 82, 84 and 85 of South Seoni Division.

South

- The outer boundary of Reserved Forests comppt. Nos. 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 and 53 of South Seoni Division.

West

- The outer boundary of Reserved Forests comppt. Nos. 53, 58, 59, 50, 49 and 48 of South Seoni Division.

By order and in the name of
the Governor of Madhya Pradesh

J. Agrawal 21/08/98
(Jitendra Agrawal)
Additional Secretary
GOMP, Forests Department